प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 13.12.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 151 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 151 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 1137/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/3(5) भा0न्या0सं0 में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. प्रदीप कुमार पुत्र रमेश निवासी दुर्गानगर, 108 गौशाला मार्ग, बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. निखिल सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी हरिरामपुर थाना गौरा बाजार जनपद देवरिया हालमुकाम बरदहिया बाजार, जनता मार्ग थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 13.12.2025 को मंझरिया ब्यारा रोड़, रेलवे क्रासिंग के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 06.12.2025 को वादी श्री पीर मोहम्मद पुत्र स्व0 सोहरत अली निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उनके भतीजे जान मोहम्मद पुत्र स्व0 सैदा हुसैन के साथ गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा कसैला गाँव के पास मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त मेडिकल कालेज गोरखपुर में इलाज के दौरान उनके भतीजे की मृत्यु हो गयी थी।

पूर्व में दिनांक 07.12.2025 को घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 01. प्रियांशु सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह निवासी कसैला थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. श्रेयाँश पाण्डेय पुत्र अष्टभुजा पाण्डेय निवासी कोलूहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था, गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 13.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव, का0 विनय कुमार यादव।**

थाना धर्मसिंहवा पुलिस टीम द्वारा गुम हुए बालक को बरामद कर, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में ***थाना धर्मसिंहवा पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए गुम हुए बालक नाम पता रेहान उर्फ फैजान उम्र करीब 07 वर्ष पुत्र गुड्डू खान निवासी बीसलपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत धर्मसिंहवा बाजार के पास से सकुशल बरामद करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

घटना का विवरण - आज दिनाँक 13.12.2025 को थाना धर्मसिंहवा पर गुड्डू खान पुत्र मुन्ने खान ग्राम बीसलपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश जोकि गुड्डू सिंह ग्राम भानपुर माफी थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर के ईंट भट्ठे पर अपना पूरा परिवार लेकर काम करतें है, के द्वारा सूचना दिया गया कि आज जब मैं बाजार जा रहा था तभी मेरा लड़का रेहान उर्फ फैजान उम्र करीब 07 वर्ष भी मेरी बिना जानकारी के घर से मेरे पीछे पीछे निकल गया और कहीं गुम हो गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री हरिकेश भारती, आ0 अमृतेश मिश्रा, आ0 ओमवीर सिंह, आ0 दीपक खरवार।